

अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत्त-

जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/अजमेर/

भीलवाड़ा/राजसमन्द/उदयपुर

खनि अभियन्ता वृत्त- खनि अभियन्ता-

जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/सिरोही/सीकर/अलवर/आमेर/

राजसमन्द-प्रथम/द्वितीय/बून्दी-प्रथम/द्वितीय/नागौर/रामगंजमंडी/झुन्झुनू/सोजतसिटी/भीलवाड़ा/धौलपुर/बिजौलिया/चित्तौड़गढ़/मकराना/करौली/प्रतापगढ़/ब्यावर/डूंगरपुर/जालौर/बाँसवाड़ा/श्रीगंगानगर/बाड़मेर/जैसलमेर/भरतपुर

सहायक खनि अभियन्ता-

सलूमवर/ऋषभदेव/टोंक/बालेसर/निम्बाहेड़ा/कोटपूतली/गोटन/झालावाड़/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/चूरु/हनुमानगढ़/नीमकाथाना/रूपवास/सावर/

विषय:-राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के परिवाद संख्या 16/22/1025 द्वारा श्री राणासैन गुप्ता।

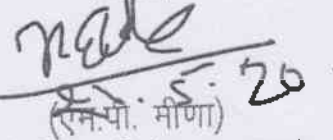
संदर्भ:-शासन पत्र क्रमांक प.12(20)खान/गुप-1/2015 जयपुर, दिनांक 19.05.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग की आदेशिका में खान मालिकों द्वारा कामगारों का प्रभावी तरीके से रिकॉर्ड रखने की कार्यवाही के अनुसरण में शासन निर्देशानुसार निम्नांकित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे -

1. आपके क्षेत्राधिकार में स्थित खानों का पंजीयन, खान सुरक्षा निदेशालय में दर्ज कराने बाबत खानों की सूचीमय विवरण, सम्बन्धित निदेशालय खान सुरक्षा कार्यालय में भेजी जावें।
2. खानों के सम्बन्ध में नियम 28(2)(iv)(a) के अनुसार सभी पट्टाधारियों से पालना कराई जावें एवं पालना नहीं किये जाने पर नोटिस जारी किये जावे।
3. क्वारी लाइसेंस धारकों को नियम 28(3)(viii) की पालना हेतु नोटिस दिये जावे।

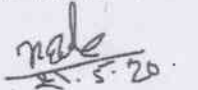
भवदीय,


अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)

दिनांक 21.05.2020

क्रमांक:-निदे/अनिखा/मा.धि./परि.सं./16/22/1025/ 951

प्रतिलिपि संयुक्त शासन सचिव, खान (गुप-1) विभाग, जयपुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अतिरिक्त निदेशक (खान)
(पर्यावरण एवं विकास)